भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 213

सोमवार, 3 अगस्त, 2026 / 12 श्रावण, 1948 (शक)

उत्तर प्रदेश से कामगारों का पलायन

***213. श्री छोटेलाल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

सरकार द्वारा रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कामगारों सहित उत्तर प्रदेश के कामगारों के रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

जारी.../-2

"उत्तर प्रदेश से कामगारों का पलायन" के संबंध में श्री छोटेलाल द्वारा लोकसभा में दिनांक 03-08-2026 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *213 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके रोजगार के अवसर सृजित करने और स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है ताकि लोग अपने निवास स्थान के समीप ही अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। इन योजनाओं में विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण), आजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), पीएम-स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएम विश्वकर्मा योजना, उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) जैसी कुछेक योजनाएं शामिल हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल का संचालन किया जा रहा है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों से नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर की जानकारी, जॉब सर्च और जॉब मैचिंग, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि सहित करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वन-स्टॉप समाधान है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विभिन्न पहलें की हैं जिनमें एक जिला एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, कौशल विकास और कौशल उन्नयन कार्यक्रम, रोजगार मेला, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ भवन कामगारों का पंजीकरण और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, प्रसूति प्रसुविधा आदि प्रदान करना शामिल हैं।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 को अधिनियमित किया था। इस अधिनियम को अब उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ (ओएसएच) संहिता में समामेलित कर लिया गया है। ओएसएच संहिता समुचित कार्य दशाओं, न्यूनतम मजदूरी, टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ, वर्ष में एक बार यात्रा भत्ता प्रदान किए जाने का उपबंध करती है तथा प्रवासी कामगार उस प्रतिष्ठान के एक नियमित कर्मचारी के लिए उपलब्ध सभी लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र है, जिसमें ईएसआईसी, ईपीएफओ और अन्य लाभ आदि शामिल हैं।

*****